पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा0)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE, SPECIAL SECTOR, C.R.P.F., JEEVAN VIHAR COLONY, TELIBANDHA, RAIPUR (CHHATISGARH)-492006

ADVERTISEMENT

'RECRUITMENT OF CT/DVR IN C.R.P.F.'

Recruitment for the post of Constable/Driver on all India basis will be carried out at **Group Centre, CRPF Campus, Bharani, Bilaspur (Chhatisgarh)** for Male candidates only **wef 30/08/2010**.

The vacancies, which may be changed later due to administrative reasons, are as under:

Name of Post	Total Vacancies	Genl.	Ex-men	SC	Ex-Men	ST	Ex-Men	OBC	Ex Men	Time Schedule
CT/Dvr	93	42	05	13	01	06	01	22	03	30/08/2010 from 0800 to 1700 hrs for registration of candidates & issue of registration slip
Total	**93**	**42**	**05**	**13**	**01**	**06**	**01**	**22**	**03**	

02. The Pay Scale for the above post is PB-1Rs. 5200-20200 and Grade pay Rs. 2000/- pm

03 **Other allowances**: As admissible to Central Govt employees from time to time, under the rules.

04. **Place of duty**: Any where i.e. within as well as outside the Territory of India.

05. There is no restriction of domiciliary status for recruitment of above posts.

06. The recruitment is on All India Basis.

07. New Contributory Pension scheme to Central Govt. employees which has come into effect from 01/01/2004, will be applicable to all selected candidates.

08. **ELIGIBILITY CONDITIONS FOR RE EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN:-**

For the Ex-servicemen (they being trained soldiers) only written and medical fitness tests to ascertain their medical category will only be conducted. As per Govt order total relaxation in prescribed physical standards and the education is admissible to them. No PET is required for Ex-servicemen. Others conditions are as under:-

A) Ex-servicemen means a person, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Army, Navy and Air Force of the Indian Union but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the Central Reserve Engineering Force, the Lok-Sahayak Sewa and the Para Military Forces and,

i) Who has retired from such service after earning his pension: or

ii) Who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment: or

iii) Who has been released from Service after completing the specific period of engagement otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given gratuity and includes personnel of the Territorial Army of the following Categories namely :

a) Pension holders or continuous (embodied) service

b) Gallantry award winners

iv) The Territorial Army personnel who fulfill above conditions will be treated a Ex-servicemen with effect from 15/11/1986.

v) The above revised definition of 1986 would be applicable to those service personnel who are released from service w.e.f. 01/07/1987.

B) Requirement of above Ex-Servicemen for enlistment for the said post in CRPF:-

1)	***Education***	:	Total relaxations
2)	***Physical Standard***	:	Total relaxation
3)	***Medical standard***	:	Shape – One
4)	***Break in Service***	:	Not more than 24 months.
5)	***Age limit***	:	Age concession for Ex-servicemen will be allowed in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time and they will be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed the prescribed age limit by more than 3 years.
6)	***Character***	:	Should be exemplary / Very Good / Good

09. Wards (Son) of serving CRPF personnel may also appear in the Rectt test if so desired accordingly. They should submit blood relation certificate at Recruitment venue and have to compete with common candidates.

10. E*LIGIBILITY CONDITIONS FOR CT/DVRS ARE AS UNDER*:

A) **Age**: 18–23 years (cut off date for age will be 1st Aug. 2010)

i) Relaxation in upper age limit as under :-

SC/ST	- 5 years
OBC	- 3 years

ii) 5 years of age relaxation will be granted to the Children and dependent family members of those who killed in riots of 1984 and in the communal riot of 2002 in Gujrat will be provided in accordance with Govt. of India, MHA OM No. I-45023/2/ 2007-Pers-UU dated 12/04/2007, 29/06/07, & 21/09/07 and I-45023/2/ 2007-Pers-II dated 26/06/2007 & 21/09/2007. To avail the relaxation the candidate (i.e.) children/dependent family members of those who killed in the riots has to produce a certificate from the concerned district Collector/Magistrate.

iii) 5 Years relaxation in upper agae to the residents of Jammu & Kashmir State will be provided in accordance with Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training) GOI Notification No. 15012/7/1991-ES-(D) dated 07/12/2007.

B) ***Educational Qualification:***

ii) Matriculation or 10th Class Pass from a recognized board.

Technical qualification:

i) The candidates for the post of CT/Dvr should be in possession of valid MT heavy Driving License (HTV) and should pass the driving test at the time of recruitment

C) ***Physical Standards:-***

i) Height: - Min. 170 CMS

ii) Weight:-Proportionate to height and age as per medical standards.

iii) Chest: - Un – expanded 80 Cms, expanded 85 Cms.
(Minimum expension 5 Cms)

D) ***Medical Standard:-***

a) Eye Sight: Distant Vision:-
Minimum distant vision should be 6/6 & 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing of glasses.

b) The Candidates must not have knock-knee, flat foot, varicose vein or squint eyes, colour blind and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily healthy and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

E) ***Relaxation:***

i) **Height:** - The minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaounis. Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladakh regions of J&K will be 165 Cms. The minimum height of all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 Cms.

ii) **Chest** :- The minimum chest of male candidates falling in the categories of Gharwalis, Kumaonis, Gorkahs, Dogras Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladakh regions of J&K will be 78 Cms (minimum 5 Cms expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to Scheduled Tribes will be 76 Cms (minimum 5 Cms expension). For relaxation in height and chest Annexure – III is attached)

11. ***SELECTION PROCESS:-***

No application is required to be submitted in this regard. The recruitment shall be on open rally system. Willing/eligible candidates should appear before the Recruitment Board on the dates and time prescribed above. Candidates will have to undergo the following test:

STAGE – I

A) **HEIGHT BAR**

At the very beginning all eligible candidates will be asked to go through the height bar and thereby, the candidates with lesser height will be eliminated for participating in the further process of recruitment by giving rejection slip intimating reason for rejection.

B) 5 KMS RACE

Those candidates who qualify the height bar will be subjected to 5 Kms race to be completed in 24 minutes. The candidate (s) who could not qualify the prescribed race will be eliminated in the further process of recruitment.

C) IDENTIFICATION OF CANDIDATE

The Candidates who qualify the 5 Kms race will be examined/ identified by their Photos, thumb impression and any specific identifying mark in the body will be taken by the concerned recruitment board.

D) SCREENING OF ORIGINAL TESTIMONIAL

Original testimonial/documents are required to be produced by the candidates and if candidates who failed to produce the requisite testimonial/ certificates will be eliminated from the recruitment process and in no case candidates should be allowed provisionally.

E) PHYSICAL MEASUREMENT

The candidates who are found eligible on screening of testimonials will be screened for height, chest and weight by the B.O.Os. The candidates who meet the requirement of physical standard will be allowed to participate in Physical Efficiency Test and candidates who do not fulfill the laid down physical standard will be eliminated from participating in the further process of recruitment. Any dispute in measurement will be settled by the Presiding Officer on the spot whose order will be final.

F) PHYSICAL EFFICIENCY TEST

Those candidates found fit in physical measurement test will participate in physical efficiency test consisting of following events, which will be of qualifying nature:-

i) 11 feet long jump.

ii) 3 ½ feet high jump.

NOTE:-

i) In the event of High Jump and Long Jump candidates would be given 3 chances.

ii) A candidate must qualify in the above events. Failure to qualify in any of the above events of PET will render the candidate disqualified to appear in subsequent process of the recruitment.

iii) The selection process of a candidates starting from putting the candidates through height bar till completion of PET will be a continuous process and candidates qualified in all the selection process will only be allowed to appear in further process of Rectt test.

G) TRADE TEST The candidate who qualify in the P.E.T. will be tested to ascertain in trade/job efficiency by a Board of Officers.

STAGE-II

WRITTEN EXAMINATION

The candidates who are found proficient in trade will be put through written test carrying maximum of 100 marks. The written test will be of 01 hour and 30 Minutes duration and comprise of 2 parts of 50 marks each. Part – "A" will be objective type consisting of General Knowledge, Science, Numerical Aptitude and Test of reasoning etc. Part "B" will be a descriptive type consisting of letter/Essay and questions of general awareness. The pass mark in written examination is 35% for General candidates and 33% for SC/ST/OBC.

STAGE-III

MEDICAL EXAMINATION

Candidates making the grade in order of merit based on marks obtained in written test will be put through detailed medical examination including chest X ray and Pathological tests to assess their suitability/fitness for appointment.

APPEAL AGAINST MEDICAL EXAMINATION

When the Candidate declared unfit for appointment in CRPF in detailed medical examination, the grounds for rejection will be communicated to him in broad terms by Medical Officer of the recruitment board. The candidates if not satisfied with the findings of the Medical Officer can

submit an appeal for re-medical examination with a proof of his fitness in the form of a Medical certificate to the **DIGP GC CRPF Bilaspur (C.G)** The medical certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been declared unfit for appointment by a CRPF Medical Officer. For this purpose, the prescribed Annexure-'V' will be provided to candidates at recruitment centres. The appeal will also not be taken into consideration unless it contains medical re-examination fee of Rs. 25/- (Rupees twenty five only) through IPO in the name of the **DIGP GC CRPF Bilaspur (C.G)** and same should be submitted within 15 days from the date of issue of the communication in which the findings of the Medical Officer is communicated to the candidates.

STAGE-IV

DRAWAL OF FINAL MERIT LIST

i) The final selection of the candidate will be made in order of merit in each category.

ii) The cut off percentage of marks for appointment will be as under:-

General and Ex-servicemen	:	35 %
SC/ST/OBC	:	33 %

iii) There will not be any interview for this recruitment.

12. The following documents in original should be brought by the candidate at the time of recruitment:-

i) Matriculation (SSLC) certificate for proof of Educational qualification and Date of Birth.
ii) SC/ST and OBC certificate, as applicable, issued by the Revenue Officer not below the rank of Tehsildar which should be on the format as prescribed in Annexure-I & II respectively.
iii) Original Technical/Trade/Professional and experience certificates.
iv) Discharge certificate in case of Ex- Servicemen.
v) Other certificates in support of additional qualification i.e. NCC/ Scout & Guides/Sports/ proficiency in computer if any.
vi) Candidates serving in Central Govt./State Govt./Public Sector Units should apply through proper channel. They should submit a certificate as per Annexure 'IV'. They should produce a "No objectin Certificate" from their employer at the time of

checking of testimonials/documentation failing which their candidature will be rejected. This is applicable to serving CRPF personnel also.

vii) Candidates should also produce the relevant certificate in support of any relaxation they seek in terms of age etc as mentioned in para-10 (A) (ii) & (iii).

viii) Four recent passport size photographs.

13. ***GENERAL CONDITIONS***:-

i) Candidates will have to appear for selection/test at their own expenses and no TA/DA will be admissible. They will also have to make their own arrangements for stay during recruitment which may continue for 6 to 7 days. Candidates are advised to bring their own pen/pencil etc.

ii) The Department will not be responsible for accident/ injuries, if any, sustained during the course of test/recruitment.

iii) Selected candidates on their appointment in CRPF will be governed by the CRPF Act 1949, CRPF Rules 1955 and other Central Government Rules and regulations as applicable from time to time.

iv) All the posts are combatised and are purely temporary but likely to be continued. Selected candidates are liable to be posted anywhere in India or outside.

v) Canvassing in any form or bringing outside influence will automatically disqualify the candidate from appearing in the test

vi) No prior application is required to be submitted in this regard. Willing/eligible candidates should appear before the Recruitment Board at **Group Centre, CRPF, Bharani, Bilaspur (Chhatisgarh)**

vii) Vacancies can be altered/changed/increased/decreased due to administrative reasons.

viii) Domiciliary Status: - On All India basis.

Sd/ 14/07/10

(RADHA MOHAN MEENA)

DIGP(ADM) SPL. SECTOR

<u>Annexure – I</u>

<u>FORM CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES</u>

This is to certify that Shri/Smt/Kumari ....……………………….. Son/daughter of Shri………..………..…of village/town... ……………… in District/Division………………of State/Union Territory ......……………. belongs to the.................................... Caste/Tribe which is recognized as Schedule Casts/Schedule Tribe under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950
The constitution (Scheduled Tribes) order, 1950
The Constitutions (Scheduled Castes) (Union Territory) order, 1951
The constitution (Scheduled Tribes) (Union Territory) order, 1951
(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) order 1956, in Bombay, Reorganization Act, 1960, the Punjab
Re-organization Act, 1966. The State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganization At, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.)
The constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order 1956;
The constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, 1959,
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment) Act, 1976;
The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962
The constitution (Dadra and Nagar Haveli8) Schedued Tribes order 1962
The constitution (Pondinchery) Scheduled Castes Order 1964;
The constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order 1967;
The constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Castes order 1968;
The constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Tribes order 1968
The constitution (Nagaland) Scheduled Tribe order 1970;
The constitution (Sikkim) Scheduled Cates order 1978:
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order 1978:
The Constitution (SC) order (Amendment) Act, 1990;
The constitution (ST) order (Amendment) ordinance 1991;
The constitution (ST) order, (Second Amendment) Act, 1991
The constitution (ST) Ordinance, 1996

02. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt/Kumari ....

son/daughter of Shri.. of village/town ....in District/Division.................................. of State/UT.................................. belongs to the .... Caste/ tribe which is recognized as a SC/ST in the State/Union Territory issued by the ....(name of the prescribed issuing authority) dated............

03. Shri/Smt/Kumari..and or his/her family ordinarily reside(s) in village/town.......................................in District /Division................................of State/Union Territory of ....

Place..................

Date...................   Signature........................
Designation.....................
(With seal of Office)

Note: - The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950

<u>LIST OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE/TRIBE CERTIFICATE</u>:

1) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Dy. Collector / 1st Class stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Extra Assistant Commissioner / Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
2) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Annexure- II

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVT. OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari …………………….......................son/ daughter of Shri ………………….............of village/Town.……..............……………………. in District/Division.. of the State/Union Territory ....……………..... belongs to the………………….................… community, which is recognized as a backward class as under :-

i) Resolution No. 12011/63/93-BCC© dated 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, No. 186 dated 13th September, 1993.
ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October, 1994, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, Section 1, No. 163 dated 20th October 1994.
iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, Section 1, No. 88 dated 25th May, 1995.
iv) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated th 6th December, 1996, published in the Gazette of India Extraordinary-Part I, Section 1, No. 210, dated 11th December, 1996.

02. This certificate is issued on the basis of the Backword class certificate issued to Shri/Smt..……….....……………............Father/Mother of Shri/Smt/Kumari. .... of Village/Town..in District/Divison..of the State/UT................................ who belongs to.. Caste which is recoganised as other (Name of the prescribed issuing authority) vide their No....................... Dated............... Shri/Smt /Kumari...and or his/her family ordinarily reside (s) in Village/Town..of...................................District/Divison of the State/UT of ....

03. This is also certify that he/She does not belong to the persons/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Govt. of India. Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8/9/1993.

Place…………..
Date…………..

Signature……………......
Designation……………....
(With seal of office)

LIST OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE/TRIBE CERTIFICATE:

1) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Dy. Collector/1st Class stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Extra Assistant Commissioner /Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Annexure –III

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATES THOSE WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT

Certified that Shri/Smt/Kumari... ....…………………………..... Son/daughter of Shri………................………......................whose photo is affixed and attested below is a permanent resident of village .... …………………...... Tehsil/Taluka ....……….......……… District …………...........of State of ....

2. **It is further certified that Shri/Smt/Kumari...** Son/daughter of Shri ………………...............………....belongs to (Garwali / Kumaouni / Dogra / Maratha / Himachali / Ladkhaki / Kashmiri / Sikkimies) (Name of the Community.......………………………) and entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

OR

It is further certified that Shri/Smt/Kumari..........................……………… Son/Daughter of Shri..........................……………………… belongs to and aborigine of (North Eastern States) ………………................ (Name of the State) and entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

OR

It is further certified that Shri/Smt/Kumari ....……..... Son/daughter of Shri...belongs to and aborigine of (North Estern States)...........…………(Name of the Tribe)……………....Tribals/Adivasis Community and is entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

Round
seal

Dated: SD/-
Place: Signature

District Magistrate/Sub
Divisional Magistrate/Tehsildar

Annexure-IV

NO OBJECTION CERTIFICATE

i) Certified that Shri/Smt/Kumari.. S/O/D/O ....holds a permanent/temporary post of .... Under Central/State Govt.

ii) Certified also that Shri/Smt/Kumari.............................. ....has submitted his/her application this Department/Office on .... and will be released in case of his/her selection for the post of Ct/GD in CRPF.

Place.................................... **Signature of Head of Office/Department**
Date...................................... **with office seal**

<u>CERTIFICATE OF FITNESS</u>

<u>Annexure-V</u>

I hereby certify that I/We have examined ……………………… candidate for employment in the ……………………………. department and can not discover that he/she has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness of bodily infirmity except …………………………. I/We do not consider him a disqualification for employment in the office of ……………………………………………..

Note:-

This certificate has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical officer of the CRPF.

State

Dated: - Signature of Candidate

Signature of the
Medical Officer/
Board of Medical Officer.

<u>कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्पेशल सेक्टर, जीवन विहार कॉलोनी, तेलीबॉधा, रायपुर (छत्तीसगढ)–492006</u>

<u>विज्ञापन</u>

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुरूष उम्मीदवारों की सिपाही/चालक के पदों की अखिल भारतीय स्तर पर <u>ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल कैम्पस, भरनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ</u> में दिनांक 30/08/2010 से भर्ती की जाएगी ।

निम्नलिखित दर्शाई गई रिक्तियों को प्रशासनिक कारणों से बाद में परिवर्तित किया जा सकता है :–

पद का नाम	कुल रिक्तियॉ	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	अनु सूचित जाति	भूत पूर्व सैनिक	अनु सूचित जन जाति	भूतपूर्व सैनिक	अन्य पिछडा वर्ग	भूत पूर्व सैनिक	समय
सिपाही / चालक	93	42	05	13	01	06	01	22	03	दिनांक 30/08/10 को 0800 बजे से 1700 बजे तक उम्मीदवारों का पंजीकरण एवं पंजीकरण पर्ची जारी करना ।
योग	93	42	05	13	01	06	01	22	03	

2. वेतनमान :– वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20,200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–प्र.माह
3. अन्य भत्ते :– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय अन्य भत्ते ।
4. तैनाती स्थान :– भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
5. भर्ती हेतु उम्मीदवारों की अधिवासिता के लिए कोई प्रतिबंध नही है ।
6. भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी ।
7. सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 01/04/2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेशन योजना लागू होगी ।

8 <u>भूतपूर्व सैनिकों की पुर्नियुक्ति की पात्रता :–</u>

भूतपूर्व सैनिक (प्रशिक्षित सैनिक होने के कारण) का केवल लिखित और उनकी चिकित्सा श्रेणी का पता लगाने के लिए मेडिकल फिटनेस परीक्षण लिया जाएगा । सरकारी आदेशों के अनुसार उन्हें निर्धारित शारीरिक स्तर और शिक्षा में पूर्ण छूट है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है । अन्य शर्ते निम्नानुसार है :–

अ) भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की थल सेना, जल सेना व वायु सेना के किसी भी पद पर चाहे वह योद्धक या गैर योद्धक हो, के रूप में नियमित सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति

शामिल नहीं हैं जिसने डिफेन्स सुरक्षा कोर , जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेवा तथा अर्ध सैनिक बलों में सेवा की हो एवं

i) ऐसी सेवा से पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हो।

ii) संस्थानों में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से (स्वयं की इच्छा से कार्यमुक्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) मुक्त हुआ हो।

iii) विनिर्दिष्ट की गई अवधि पूर्ण करने के पश्चात सेवा मुक्त हुआ हो, न कि स्वयं के अनुरोध पर सेवा मुक्ति या उसके दुर्व्यवहार अथवा अयोग्यता के कारण पद्च्युत अथवा सेवा मुक्ति किये जाने पर जिसमें उसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो तथा इसमे प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक भी शामिल होगें:–

(क) निरंतर सेवा (इम्बाडिज) के पेशंन प्राप्तकर्ता

(ख) शौर्य पदक विजेता

iv) प्रादेशिक सेना के कार्मिक जो उपयुक्त शर्तें पूरा करते हों उन्हे दिनांक 15.11.86 से भूतपूर्व सैनिक माना जायेगा।

v) वर्ष 1986 की उक्त संशोधित परिभाषा उन कार्मिकों के लिये भी लागू होगी जो 01.07.1987 से नौकरी से सेवा मुक्त हुए हैं ।

ब) भूतपूर्व सैनिको के लिए केरिपुबल के उपरोक्त पदों में सम्मिलित होंने के लिए योग्यताएं निम्नानुसार हैं :–

1.	शिक्षा	:	पूर्ण छूट
2.	शारीरिक मापदण्ड	:	पूर्ण छूट ।
3.	चिकित्सा श्रेणी	:	शेप–एक
4.	सेवा में व्यवधान	:	24 माह से अधिक न हो।
5.	आयु सीमा		भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार दी जाएगी और उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
6.	चरित्र	:	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा

9. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत कार्मिकों के बच्चे (पुत्र) भी इच्छुक होंने पर तद्नुसार भर्ती प्रकिया में शामिल हो सकते हैं । उन्हें रक्त संबन्धी प्रमाण पत्र (Blood Relation Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा वह सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही भर्ती प्रकिया में भाग लेंगे ।

10. <u>सिपाही/चालक के लिये</u> <u>पात्रता की शर्ते निम्नानुसार हैं:–</u>

(क) <u>आयु</u> :–दिनांक 1.8.2010 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए । (आयु की कटऑफ तिथि एक अगस्त, 2010 होगी)

(1) उपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :–

अ0जा/अ0ज0जा0	–	5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	3 वर्ष

(2) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई–45023/2/2007–कार्मिक–दो दि0 12/04/2007, 26/06/07, 29/06/07 एवं 21/09/07 में निहिंत प्रावधानों के अनुसार 1984 के सिक्ख दंगों तथा 2002 में गुजरात राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों को पांच वर्ष तक की छूट । यह छूट प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार (अर्थात मारे गये व्यक्ति के बच्चे/परिवार के आश्रित) को संबंधित जिला अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(3) कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 07/12/2007 की अधिसूचना संख्या 15012/7/1991–ईएस (डी) में निहिंत प्रावधानों के अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिए उपरी आयु में 5 वर्ष तक की छूट होगी।

(ख) <u>शैक्षिक योग्यता :–</u>

मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10 वीं पास ।

<u>तकनीकी योग्यता :–</u>

सिपाही/चालक पद हेतु उम्मीदवारों के पास वैध भारी मोटर परिवहन (एचटीवी) लाइसेन्स होंना चाहिए तथा भर्ती के समय उसे ड्राईविंग टेस्ट में उत्तीर्ण होना होगा ।

(ग) <u>शारीरिक मापदंड:–</u>

1) उॅचाई :– कम से कम 170 से0मी0

2) वजन :– चिकित्सा स्तर के अनुसार उॅचाई और आयु के अनुपात में ।

3) सीना :– बिना फुलाए – 80 से0मी0 फुला कर – 85 से0मी0 (कम से कम 5 से0मी0 फुलाना)

(घ) <u>चिकित्सा मापदंड:–</u>

अ) <u>नेत्र दृष्टि</u> :– दूरस्थ दृष्टि :–_चश्मे के बिना दोनो आंखों की न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एवं 6/9 बिना किसी त्रुटि के होनी चाहिए ।

ब) उम्मीदवार को धनुषाकार टांगे, आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे, वेरीकोज वेन, आंखों का भेंगापन, रंगान्धता दोषों से मुक्त होना चाहिए । वे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए । वे अन्य शारीरिक दोषों जिससे प्रभावी ढंग से डयूटी करने में बाधा पहुॅचे, से मुक्त होंने चाहिए ।

(ड.) <u>छूट</u> :–

(1) उॅचाई :– गढ़वाली, कुमायुॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उॅचाई 165 से0मी0 होगी । सभी अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊॅचाई 162.5 से0मी0 होगी ।

(2) सीना :– गढ़वाली, कुमायुँनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए सीने की बिना फुलाए न्यूनतम चौड़ाई 78 से0मी0 (कम से कम 5 से0मी0 फुलाना) होगा । सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीमा 76 से0मी0 (कम से कम 5 से0मी0 फुलाना) होगा। (उँचाई एवं सीने में छूट के लिये परिशिष्ट–'ग' संलग्न है)

11. चयन प्रकिया :–

उपर्युक्त पदों हेतु भर्ती के लिए आवेदन की आवश्यकता नही है । भर्ती रैली सिस्टम के आधार पर होगी । निर्धारित तिथि तथा समय के अनुसार उम्मीदवार को भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा । उम्मीदवारों को निम्ननिखित टेस्ट से गुजरना होगा :–

प्रथम चरण

क) हाईट बार

सभी योग्य उम्मीदवार शुरू में हाईट बार के नीचे से जाएंगे तथा जो उम्मीदवार लम्बाई में कम होगा उसे अस्वीकार करने संबन्धी पर्ची देकर भर्ती की होंने वाली आगे की प्रकिया से हटा दिया जाएगा ।

ख) 5 किलोमीटर दौड़

हाईट बार के सफल उम्मीदवारों को 24 मिनट के अन्दर 5 किलोमीटर की रेस पूर्ण करनी होगी तथा जो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें भर्ती की आगे होंने वाली प्रकिया से हटा दिया जाएगा ।

ग) उम्मीदवार की पहचान

जो उम्मीदवार 5 किलोमीटर की दौड़ में सफल होंगे उनकी जॉच/पहचान उनकी फोटो से, अंगूठे के निशान से तथा शरीर के किसी विशिष्ट पहचान चिन्ह से की जाएगी ।

घ) मूल प्रमाण–पत्रों की जॉच

उम्मीदवार को मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा यदि उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा तो उसे भर्ती पृकिया से हटा दिया जाएगा तथा किसी भी उम्मीदवार को अस्थायी रूप से सम्मिलित होंने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ङ) शारीरिक माप तौल

जो उम्मीदवार मूल प्रमाण–पत्रों की जॉच की पृकिया में सफल होंगे उनकी लम्बाई, सीना तथा वजन की जॉच संबन्धित बोर्ड के सदस्यों के द्वारा की जाएगी तथा जो उम्मीदवार उसमे सफल होंगे उन्हें शारीरिक

दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होंने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा जो उम्मीदवार शारीरिक माप तौल में सफल नहीं होंगे उन्हें भर्ती की होंने वाली आगे की पृक्रिया से हटा दिया जाएगा । किसी भी विवाद की स्थिति में संबन्धित भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर मामले को निपटाया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा ।

च) <u>शारीरिक दक्षता परीक्षण</u>

जो उम्मीदवार शारीरिक माप तौल परीक्षण में सफल होंगे उन्हें निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होंने का अवसर प्रदान किया जाएगा जो कि अर्हक प्रकृति की होगी :–

1) 11 फीट लम्बी कूद

2) 3 ½ फीट ऊॅंची कूद

नोट :–

1) लम्बी कूद एवं ऊॅंची कूद के लिए उम्मीदवारों को तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे ।

2) उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण होंना होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपर्युक्त किसी भी परीक्षण में असफल होंने पर उम्मीदवार को उसी स्तर पर आगे के परीक्षणों से निष्कासित कर दिया जाएगा ।

3) उम्मीदवारों की चयन प्रकिया उनके हाईट बार के नीचे से गुजरने से शुरू होते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षण के पूर्ण होंने तक लगातार जारी रहेगी तथा जो उम्मीदवार सभी चयन प्रकियाओं में सफल होंगे, केवल उन्हें ही भर्ती की होंने वाली आगे की प्रकिया में सम्मिलित होंने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

छ) <u>व्यावसायिक परीक्षण</u>

जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होगे उनकी संबन्धित बोर्ड के अधिकारियों द्वारा ट्रेड/कार्य दक्षता के निर्धारण हेतु उनकी ट्रेड/कार्य दक्षता की परीक्षा ली जाएगी ।

<u>द्वितीय चरण</u>

ज) <u>लिखित परीक्षा</u>

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं संबन्धित ट्रेड परीक्षा में योग्य/निपुण पाए जाने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा जो कि अधिकतम 100 अंकों की होगी में सम्मिलित किया जाएगा । लिखित परीक्षा की अवधि 01 घंटा 30 मिनट की होगी । इसमें 50–50 अंकों के दो भाग होंगे । प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, योग्यता एवं रिजनिंग टेस्ट इत्यादि तथा द्वितीय भाग में पत्र/निबंध लेखन, सामान्य एवं वातावरण जागरूकता से संबंधित प्रश्न होगे । लिखित परीक्षा पास करने के लिए

सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अ0पि0वर्ग उम्मीदवार को 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

<u>तृतीय चरण</u>

झ) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

उम्मीदवारों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं विशिष्ठ <u>उपलब्धि/योग्यता</u> के लिये प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के अनुसार नियुक्ति की पात्रता हेतु उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा, जिसमें सीने का एक्सरे तथा पैंथेलोजिकल टेस्ट भी शामिल है ।

<u>चिकित्सीय परीक्षण के विरूद्ध अपील</u>

जब उम्मीदवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो भर्ती बोर्ड चिकित्साधिकारियों द्वारा उसे अयोग्य घोषित किए जाने के संबंध में कारणों से अवगत कराया जाएगा। यदि उम्मीदवार चिकित्साधिकारी/ मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा जॉच के परिणाम से सहमत नही है तो अपनी मेडिकल फिटनेस के साक्ष्य के रूप में मेडिकल प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–'ड़') के साथ <u>पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केरिपुबल, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u> को पुनः चिकित्सीय परीक्षण के लिए अपील प्रस्तुत कर सकता है । मेडिकल प्रमाण पत्र पर तभी विचार किया जाएगा जब इसमें संबंधित चिकित्सा अधिकारी की यह टिप्पणी दर्ज हो कि वह इस तथ्य से अवगत है कि उम्मीदवार केरिपुबल में भर्ती के लिए गठित बोर्ड के केरिपुबल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा पहले ही अनफिट घोषित कर दिया गया है । इस कार्य के लिए उम्मीदवारों को भर्ती केन्द्र द्वारा निर्धारित परिशिष्ट–'ड़' उपलब्ध कराया जाएगा । पुनः चिकित्सा परीक्षण फीस के रूप में <u>पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u> के नाम पर रूपये 25/– का पोस्टल आर्डर संलग्न करना होगा, जिसके न होने पर भी अपील पर विचार नही किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के निर्णय/निष्कर्ष अवगत कराने के 15 दिन के भीतर उम्मीदवार को अपील प्रस्तुत करनी होगी ।

<u>चतुर्थ चरण</u>

<u>अंतिम चयन</u>

1) प्रत्येक श्रेणी की मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा ।

2) नियुक्ति हेतु अंकों का Cut of percentage निम्नानुसार होगा :–

क) सामान्य/भूतपूर्व सैनिक – 35%

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वर्ग– 33%

3) इस भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा ।

12. <u>भर्ती के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे</u> :–

क) शैक्षिक योग्यता/जन्म तिथि की पुष्टि के लिये मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र ।

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो परिशिष्ठ–क'' व 'ख' में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जो कि राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो द्वारा जारी होंने चाहिए ।

ग) तकनीकी/ट्रेड/व्यवसायिक अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र ।

घ) भूतपूर्व सैनिकों के मामलें मे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।

ड़) एन0सी0सी0/स्काउट एवं गाईड/खेलकूद/कम्प्यूटर का ज्ञान एवं अन्य यदि कोई हो ।

च) पैरा – 10 (ड़) में वर्णित श्रेणियों के उम्मीदवार ‰ंचाई एवं सीने की माप में छूट प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिशिष्ट 'ग' प्रस्तुत करेंगे ।

छ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक सेक्टर यूनिटों में सेवारत उम्मीदवारों को निर्धारित प्रणाली से आवेदन करना होगा । उन्हें परिशिष्ट–'घ' के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें दस्तावेजों की जॉच के समय उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी । यह प्रावधान सेवारत केरिपुबल कार्मिकों के लिए लागू है ।

ज) हाल में खीचें गए पासपोर्ट साईज के चार फोटोग्राफ ।

13. <u>सामान्य शर्तें</u>

क) उम्मीदवार अपने खर्च पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा । उन्हें भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । भर्ती प्रकिया 6–7 दिन तक चल सकती है । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पेन एवं पेंसिल साथ लाएंगे ।

ख) परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।

घ) सभी पद वर्दीधारी (Combatised) हैं और पूर्णतया अस्थायी, परन्तु आगे बने रहने की संभावना है। चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

ड़) भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।

च) भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नही है । इच्छुक/पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि/समय पर भर्ती बोर्ड के समक्ष ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, भरनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ) में उपस्थित होंगे ।

छ) प्रशासनिक कारणों से रिक्तियॉ घट–बढ़ सकती हैं ।

ज) अधिवासिता – अखिल भारतीय स्तर पर ।

हस्ता0 14/07/10

(राधा मोहन मीना)

पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा0)

परिशिष्ट–'क'

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... पुत्र/पुत्री श्री............................... ग्राम/नगर ....जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी..जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

  (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)
- संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956
- संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1959
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।
- संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश, 1996

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री श्री.................................... ग्राम/नगर.............................. जिला/मंडल..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....................................को जो.. जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को...(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक................................ संख्या.. के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

03. श्री/श्रीमती/कुमारी..................................... तथा/अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर..जिला/मंडल............................ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं ।

स्थान.. हस्ताक्षर....................................

दिनांक.. पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधि ानियम 1950 की धारा 20 में निहिंत है ।

<u>जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची</u>

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

परिशिष्ट–'ख'

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................. पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..ग्राम/नगर..................................जिला/प्रभाग.............................. में राज्य/संघ शासित क्षेत्र.. के... जाति से संबन्धित हैं जिसके निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग रूप में पहचान हैं :–

1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93–बी सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.

2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94–बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.

3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.

4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96–बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

02. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/माता/श्री/श्रीमती/कुमारी.. ग्राम/नगर...................................... जिला/खंड.......................................राज्य संघ शासित क्षेत्र .... जो .... जाति से संबधित हैं की पहचान राज्य/संघ शासित क्षेत्र ....(जारी करने वाले प्राधिकृत अतिधकारी का नाम) द्वारा उनके संख्या.............................. दिनांक............................ को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई जिसके आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी..............................और/अथवा उनका परिवार साधारण रूप से नगर क्षेत्र................................ जो .... जिला.............................. खंड.. राज्य/संघ शासित क्षेत्र में है, निवास करते हैं ।

03. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसूची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान.. हस्ताक्षर......................................

दिनांक... पदनाम...

(कार्यालय मुहर सहित)

परिशिष्ट–'ग'

ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री...जिनका सत्यापित फोटो नीचे लगा है, ग्राम.......................................तहसील/तालुका.. जिला.......................................राज्य ....का स्थाई निवासी है।

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री..(गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी) समुदाय के (समुदाय का नाम) समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री..(पूर्वोत्तर राज्यों) के (राज्य का नाम) राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री..(जनजाति का नाम) जन जाति/आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

स्थान.................................. जिलाधिकारी/उप मंडलाधिकारी
दिनांक................................ /तहसीलदार के हस्ताक्षर मुहर सहित

परिशिष्ट–'घ'

अनापत्ति प्रमाण पत्र

01. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री... केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन .... पद पर स्थाई/अस्थाई रूप से कार्यरत हैं ।

02. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. ने इस विभाग/कार्यालय में दिनांक...................................... को आवेदन पत्र दिया है तथा उसे के0रि0पु0बल में सिपाही/जीडी के पद पर चयन हो जाने की स्थिति में मुक्त कर दिया जाएगा ।

स्थान.......................
दिनांक....................

कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर सहित)

<u>परिशिष्ट–'ड'</u>

<u>चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र</u>

मै/हम यह प्रमाणित करता/ हूॅ कि मैने/हमने श्री/श्रीमती .... जो कि .... विभाग में भर्ती के लिए उम्मीदवार है की जांच की तथा उसमें शारीरिक दोष/कमी .... को छोड़कर किसी प्रकार की बीमारी (संचारी या अन्य), का होना नही पाया है । मैं/हम उसे भर्ती हेतु .... के कार्यालय के लियें अयोग्य नही मानते है।

नोट–

यह प्रमाण पत्र मेरे द्वारा इस पूरे तथ्यों की जानकारी के उपरांत जारी किया जा रहा है कि कार्मिक को पहले ही केरिपुबल के मेडिकल अधिकारी द्वारा भर्ती के लिये अयोग्य धोषित किया गया है ।

स्थान................................

दिनांक...............................

<u>उम्मीदवार के हस्ताक्षर</u>

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी
/बोर्ड के

चिकित्साधिकारी